महत्वपूर्ण एवं खास

रीपा के उत्पादों के क्रय विक्रय को लेकर चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से हुई चर्चा

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी के निर्देशन में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपाद्ध के उत्पादों के क्रय विक्रय के लिए छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के जिला इकाई सारंगढ़ बिलाईगढ़ के प्रतिनिधियों के साथ नोडल अधिकारी हरिशंकर चौहान ने बैठक ली। जनपद पंचायत सारंगढ़ के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में रीपा योजना की चर्चा की गई जिसमें सभी प्रतिनिधियों ने सहमति दी और रीपा केंद्र का भ्रमण निरीक्षण और उत्पादों के अवलोकन हेतु जाने की रूपरेखा तैयार की। उल्लेखनीय है कि जिले के छिंद गोडम बेलटिकरी आदि रीपा केंद्रों में घरेलू और व्यावसायिक उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा है। इन उत्पादों के विक्रय के लिए जिला प्रशासन द्वारा सारबिला सी मार्ट छत्तीसगढ़िया मॉल की शुरुआत की गई है। इस विक्रय केंद्र के माध्यम से जिले के उत्पादों को क्रय कर स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने की पहल जिला प्रशासन द्वारा की गई है।

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालयों के संविदा भर्ती की चयन व प्रतीक्षा सूची जारी

सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिले के बिलाईगढ़ विकासखंड अंतर्गत संचालित होने वाले नवीन आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में संविदा भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की चयनित एवं प्रतिक्षा सूची जारी की गई है। इन अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण पश्चात नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। दस्तावेज परीक्षण 12 जुलाई 2023 बुधवार को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खेलभांठा सारंगढ़ में प्रातः 11 बजे से होगा। सभी चयनित अभ्यर्थी उक्त निर्धारित तिथि एवं स्थान में अपने समस्त मूल दस्तावेजों के साथ स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेज परीक्षण के बाद नियुक्ति आदेश प्राप्त कर सकते हैं। चयनित सूची व प्रतिक्षा सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खेलभांठा सारंगढ़ के सूचना पटल और जनसंपर्क संचालनालय रायपुर के वेबसाइट डीपीआरसीजी डॉट जीओवी डॉट इन में जिले के समाचार उपलब्ध है।

निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए त्रुटिहीन निर्वाचक नामावली बेहद जरूरी

सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिला प्रशासन द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत करते हुए आज बीएलओ और सुपरवाइजर को एकदिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। स्थानीय मैरिज पैलेस में आयोजित उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने कहा कि मतदाता सूची में त्रुटि की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर निर्वाचक नामावली त्रुटिरहित है तो निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संभव हो सकेगा। इसके अलावा कलेक्टर ने प्रारंभिक प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन, सर्वे फार्म की जानकारी, रूट चार्ट संबंधी समस्या एवं उनमें बदलाव जनसंख्या अनुपात जर्जर भवनों की जानकारी, मतदाताओं के विलोपन एवं मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में जानकारी दी एवं आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर का एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिएए सबका नाम निर्वाचन नामावली में होना चाहिए साथ ही वृद्ध मतदाता जिनकी आयु 90 वर्ष से ऊपर है उनके लिए आवागमन की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज, सारंगढ़ एसडीएम मोनिका वर्माए निर्वाचन शाखा के पदाधिकारी मास्टर ट्रेनर्स सहित बीएलओ एवं सुपरवाइजर उपस्थित थे।

मंत्रिपरिषद की बैठक : मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए मंहगाई भत्ते (डी.ए.) में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

प्र शासकीय कर्मचारियों को एक और सौगात देते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया है साथ ही स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु अर्हतादायी सेवा की अवधि को 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष कर दिया गया है। प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-2024 के उपस्थापना हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षकों के रिक्त 3722 एवं सहायक शिक्षकों के 5577 पद भरने के लिए भर्ती नियम को शिथिल करते हुए स्वीकृत सेटअप में विषयवार पदों की भर्ती की बाध्यता को हटाए जाने का निर्णय लिया गया। राज्य शासन द्वारा आम लोगों को सस्ते दरों पर आवास उपलब्ध कराने बाजार मूल्य गाईडलाईन दरों को 30 प्रतिशत घटाया गया है। जिसकी प्रभावशीलता 31 मार्च 2023 तक थी। इस छूट को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री जी की बेमेतरा जिले की ग्राम पंचायत संबलपुर, महासमुंद जिले की ग्राम पंचायत भंवरपुर तथा राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायत लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा के परिपालन में आबादी के निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति में उन्नयन हेतु औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन करते हुए इसमें महिला उद्यमिता नीति 2023 को समावेशित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन तथा गैर रियायती एवं रियायती स्थायी पट्टों को भूमिस्वामी अधिकार में परिवर्तित करते समय देय राशि के आधार पर स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा नगरीय निकाय शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों को शक्कर वितरण हेतु अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक आवश्यक शक्कर की मात्रा राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से क्रय करने का निर्णय लिया गया। शक्कर का क्रय मूल्य 33,000 रूपए प्रति टन निर्धारित किया गया। खनिज साधन विभाग में मानचित्रकार, अनुरेखक एवं खनि सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु जारी चयन सूची की 01 वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैधता अवधि को शिथिल करने का निर्णय लिया गया। वन विभाग में विभागीय सेटअप स्वीकृति दिनांक 26 मार्च 2003 के बाद से नियुक्त किए गए समस्त वन रक्षकों का वेतनमान 3050-4590 मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया। राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के डिप्टी कलेक्टर, कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान से संयुक्त कलेक्टर वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में वर्ष 2017 बैच तथा विचारक्षेत्र में आने वाले लगभग 18 राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी के अधिकारियों को पूर्व की भांति रिक्त वरिष्ठ पदो के विरूद्ध वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान दिए जाने का निर्णय लिया गया। राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के संयुक्त कलेक्टर वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान से अपर कलेक्टर, प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नत क्रमोन्नत हेतु 10 वर्ष सेवा अवधि में 6 माह की छूट देते हुए वर्ष 2014 बैच के पात्र अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान से प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2023 का अनुमोदन किया गया। टाटा टेक्नालाजीस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में हुए एम.ओ.यू. की शर्तों के संबंध में निर्णय लिया गया।

वरिष्ठ समाजसेवी प्रभुदत्त खेरा द्वारा संचालित अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छपरवा विकासखण्ड लोरमी वर्तमान में अभ्यारण्य शिक्षक समिति द्वारा संचालित है, यहां पूर्व से कार्यरत 07 कर्मचारियों को इस स्कूल के लिये स्वीकृत सेटअप में समायोजन कर संविलियन करने का निर्णय लिया गया। ग्राम बिरनपुर, तहसील-साजा, जिला बेमेतरा में दिनांक 08/04/2023 को घटित घटना में मृतक साहू के परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया। विश्व बैंक एवं आईफेड से बाहय सहायता प्राप्त चिराग परियोजना अंतर्गत त्रिपक्षीय अनुबंध तथा परियोजना कार्यान्वयन योजना के अनुसार परियोजना संचालन प्रक्रियाओं के संबंध में निर्णय लिया गया। बी. व्ही. एससी स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण सहा.प.चि.क्षे. अधिकारी (तृतीय श्रेणी) से पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (राजपत्रित द्वितीय श्रेणी) संवर्ग के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित आठ प्रतिशत को केवल एक बार के लिये छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। आवेदक रायपुर राज देवांगन कल्याण समाज रायपुर के सामाजिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु ग्राम रयपुरा में आबंटित शासकीय भूमि की निर्धारित प्रव्याजि राशि में छूट देने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के सैन्य छावनी की स्थापना के लिए ग्राम चकरभाटा, बिलासपुर में कुल रकबा 1012.48 एकड़ भूमि को समर्पित कर भुगतान की गई मुआवजा राशि को वापस करने का निर्णय लिया गया।

छात्रावास/आश्रमों के अधीक्षकों का प्रशिक्षण संपन्न

रायगढ़। कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेशानुसार जिले में विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों के अधीक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करने का आदेश प्राप्त हुआ था। जिसके तहत रायगढ़ जिले में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायगढ़ बी.के. राजपूत के मार्गदर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न किया गया।

उक्त आदेश के परिपालन में विभागीय 141 छात्रावास/आश्रम के अधीक्षक एवं अधीक्षिकाओं को 22 एवं 23 जून को रायगढ़ में 26 एवं 27 जून को घरघोड़ा में तथा 28 एवं 30 जून को धरमजयगढ़ में प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिसमें मास्टर ट्रेनर भूपेन्द्र पटेल एवं सुश्री मनीषा चौहान के द्वारा छात्रावास/आश्रमों में स्वच्छता, मूलभूत व्यवस्था, मेनू अनुसार पौष्टिक भोजन, अधीक्षक का दायित्व, अभिलेख संधारण, छात्रावास निगरानी समिति, एचएमएस पोर्टल में ऑनलाईन एन्ट्री, छात्रावास/आश्रमों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भूमिका और उनके दायित्व, बच्चों के संपूर्ण विकास एवं मानसिक स्वास्थ्य, बाल संरक्षण अधिनियम के तहत बाल अधिकारों की यात्रा, बाल अधिकारों के प्रकार, संबंधित अधिनियम, बाल संरक्षण से संबंधित हितकारक विभाग द्वारा संचालित योजनायें, विशेष पिछड़ी जनजातियों हेतु आवासीय विद्यालय, छात्रावास/आश्रम संचालन संबंधी नियम, बच्चों के चयन, छात्रावास समितियों की जानकारी, प्रवेश हेतु नियम व शर्ते, वन अधिकार अधिनियम आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण में स्थानीय अधिकारी विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी घरघोड़ा, उद्यान अधीक्षक घरघोड़ा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लैलूंगा, डॉ.भूपेन्द्र चौहान, डॉ.फणीन्द्र कुमार द्वारा स्वास्थ्य किचन गार्डन (बागवानी) योगा अभ्यास आदि की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभागीय सहायक संचालक सुश्री आकांक्षा पटेल, सहायक लेखा अधिकारी ममता सारथी, समस्त मंडल संयोजक एवं वेतन केन्द्र प्रभारी एवं स्थानीय छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिकाओं की विशेष भूमिका रही।

चोरी लैपटॉप के साथ 03 आरोपी गिरफ्तार, धरमजयगढ़ पुलिस ने भेजा रिमांड पर

रायगढ़। धरमजयगढ़ पुलिस ने मनोज जनरल एंड ट्रेडर्स दुकान से 2-3 जुलाई के दरमियानी रात दुकान से चोरी हुए लैपटॉप के मामले में आज 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। 5 जुलाई को वार्ड क्रमांक 11 धरमजयगढ़ में रहने वाले मनोज अग्रवाल ने थाना धरमजयगढ़ में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 2-3 जुलाई के दरमियान अज्ञात चोर दुकान के टेबल में रखे लैपटॉप को चोरी कर ले गया है। धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी पर नकबजनी का पंजीबद्ध कर घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज चेक किये गये। सीसीटीवी फुटेज में चेहरे को कपड़े से ढका एक युवक का थानाक्षेत्र के आदतन बदमाश सागर सारथी से मिलता-जुलता था। पुलिस ने संदेही सागर सारथी की पतासाजी कर हिरासत में लिया गया। संदेही से मनोज जनरल एंड ट्रेडर्स में चोरी के संबंध में हिकमत अमली से पूछताछ करने पर अपने साथी विजय ठाकुर और लखन सिंह के साथ चोरी करना बताया। तत्काल अन्य दोनों आरोपियों को दबिश देकर हिरासत में लिया। आरोपी (1) सागर सारथी पिता सुनील सारथी 19 वर्ष निवासी धर्मजयगढ़ (2) विजय ठाकुर पिता राम सिंह 28 वर्ष सा धर्मजयगढ़ (3) लखन सिंह पिता

जवाहर सिंह 29वर्ष सा तिफरा बिलासपुर हाल पता धरमजयगढ़ से चोरी लैपटॉप कीमती करीबन 20,000 रूपये की बरामदगी की गई है जिन्हें आज नकबजनी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

जूटमिल पुलिस की कार्यवाई में स्कूटी पर शराब परिवहन कर रहा आरोपी गिरफ्तार, 90 पाव देशी प्लेन शराब और स्कूटी जब्त

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन पर माइनर एक्ट की कार्रवाई के लिये लगाये मुखबिर द्वारा कल रात्रि थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक रामकिंकर यादव को सूचना दिया कि एक युवक नीला रंग के स्कूटी पर सावित्री नगर की ओर से अवैध बिक्री के लिये शराब लेकर जा रहा है। सूचना पर तत्काल टीआई जूटमिल द्वारा कार्रवाई के लिये थाने की पेट्रोलिंग को सावित्री नगर, भजनडीपा की ओर रवाना किया गया। जूटमिल पेट्रोलिंग द्वारा संदिग्ध स्कूटी का पता लगाते हुए भजनडीपा बजरंग बली चौक के पास स्कूटी पर शराब परिवहन कर रहे युवक को पकड़ी , स्कूटी का चालक पुरन साहू पिता स्व सुखीराम साहू 20 साल सा नावापारा वार्ड क्रमांक 34 थाना जूटमिल के स्कूटी पर रखा 90 पाव देशी प्लेन/मशाला शराब किमती 7,200 रूपये एवं शराब परिवहन में प्रयुक्त एक पुरानी इस्तेमाली होण्डा कंपनी का एक्टीवा 125 स्कूटी नीला रंग का जिसका नम्बर प्लेट में CG-13-AT-5893 लिखा हुआ है किमती 30,000 रूपये जुमला किमती 37200 रूपये की जप्ती की गई है। आरोपी पुरन साहू के कृत्य पर थाना जूटमिल में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया है। शराब रेड कार्रवाई में प्रधान आरक्षक खीरेन्द्र जलतारे, आरक्षक बनारसी सिदार आरे धर्नुजय चंद बेहरा शामिल थे।

टीआई तमनार ने 11 साल से फरार लूट के स्थायी वारंटी को मुखबिर लगाकर किया गिरफ्तार, तमनार पुलिस ने 4 स्थायी वारंटियों को भेजा जेल

रायगढ़। जिले में फरार वारंटियों की धरपकड़ के लिये चलाए जा रहे अभियान के दरम्यान नव पदस्थ थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर द्वारा वारंटियों की अधिक से अधिक पतासाजी गिरफ्तारी के लिए थाने में लंबित वारंटियों के थानाक्षेत्र, जिला के दिगर थानाक्षेत्र निवासी एवं इसी प्रकार छत्तीसगढ़ और दिगर राज्य निवासी वारंटियों की लिस्टिंग कर लगातार वारंटियों की जानकारी जुटायी जा रही है। इसी क्रम में थाने के बीट कर्मचारी को ग्राम टपरंगा, आमाघाट और कठरापाली निवासी

फरार वारंटियों के आमद रफत की जानकारी मिली और उसने थाना प्रभारी को अवगत कराया। थाना प्रभारी तमनार द्वारा तत्काल टीम तैयार कर देर रात दबिश दिया गया जिसमें 04 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है जिसमें 11 साल से फरार लूट का आरोपी प्रकाश सिंह तिग्गा उर्फ हिरो भी शामिल है। तमनार पुलिस द्वारा आज वारंटियों को न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया है।

गिरफ्तार किये स्थायी वारंटी-

(1) निमित अगरिया पिता स्वर्गीय महेश राम अगरिया 33 साल निवासी टपरंगा थाना तमनार

(2) मनत राम पिता पुनाउ किसान 32 साल निवासी टपरंगा थाना तमनार

(3) प्रकाश तिग्गा उर्फ हिरो तिग्गा 23 साल निवासी आमाघाट तमनार

(4) खगेश्वर उर्फ पतालू पिता सुखलाल चौहान 32 साल निवासी कठरापाली तमनार

गृहमंत्री अमित शाह को डॉ रमनसिंह ने पेंशनरों के हित में धारा 49 को हटाने पत्र सौंपा

❐ पेंशनर्स महासंघ ने डा रमन सिंह के प्रति आभार जताया

रायपुर (आरएनएस)। गृहमंत्री अमित शाह के 5 व 6 जुलाई 23 को प्रवास में रायपुर आगमन पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमनसिंह ने उन्हें पत्र देकर मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों के आर्थिक स्वत्वों के भुगतान में बाधक बनी मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को विलोपित करने का आग्रह किया। डॉ रमन सिंह ने अपने पत्र में अवगत कराया है कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा49(6)के अनुसार मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के पेंशनरों के स्वत्वों का 74 प्रतिशत 26 प्रतिशत व्यय वहन करना है जिसमें 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी की जमीदारी छत्तीसगढ़ शासन का है। जिसके लिए दोनों राज्यों में परस्पर सहमति आवश्यक है।जबकि धारा 49(6) में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। उन्होंने आगे बताया है कि भारत सरकार द्वारा दोनों राज्यों के मुख्यसचिव को प्रेषित पत्र दिनांक 13/11/17 के अनुसार पेंशन दायित्व के लिए उत्तरवर्ती राज्यों की पारस्परिक सहमति की आवश्यकता नहीं है फिर भी धारा 49(6) के आधार पर सहमति के बहाने दोनों राज्यों के द्वारा पेंशनर्स की राशि रोक रखा गया है फलस्वरूप 6 लाख पेंशनर केन्द्र से 9? प्रतिशत पीछे है। अत: प्रस्ताव अनुसार अधिनियम की उक्त धारा को विलोपित करने हेतु स्पष्ट निर्देश जारी करने बाबत सम्बन्धित को निर्देशित किये जाने का आग्रह किया है। डॉ रमनसिंह द्वारा पेंशनरों के हित में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रायपुर प्रवास पर अपने पत्र के साथ पेंशनर्स महासंघ का ज्ञापन सौपने पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेन्द्र नामदेव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्रोपदी यादव, राष्ट्रीय सचिव पूरन सिंह पटेल,प्रदेश अध्यक्ष जे पी मिश्रा, प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी, लोचन पांडेय, प्रदेश कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर, बी एल यादव, आर जी बोहरे, आर के नारद,एस के चिलमवार,एस पी एस श्रीवास्तव आदि ने आभार जताया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हाथकरघा उद्योग का रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान : संजय ने बुनकर के काम से मजबूत की अपनी आर्थिक स्थिति

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हाथकरघा उद्योग का रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में यह उद्योग हाथकरघा बुनाई के परम्परागत धरोहर को अक्षुण्ण बनाये रखने के साथ ही बुनकर समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है। हाथकरघा उद्योग एक मुख्य कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित है। हाथकरघा उद्योग में रोजगार की विपुल संभावनाओं और हाथकरघा बुनाई की समृद्ध परम्परा, हाथकरघा बुनकरों और हाथकरघा उद्योग को और अधिक बढ़ावा देने के लिये शासन द्वारा विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित की जा रही है। सार्वजनिक उपक्रमों में लगने वाले वस्त्र एवं रेडिमेड गारमेंट की पूर्ति छत्तीसगढ़ के बुनकरों के द्वारा उत्पादित हाथकरघा, खादी से वस्त्रों का क्रय करने का अनुरोध सभी विभागों से महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ राज्य में हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित ने किया है। विभागों को वस्त्र प्रदाय के लिए छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित को नोडल एजेंसी अधिकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर से शासकीय वस्त्र क्रय के लिये भण्डार क्रय नियम में आवश्यक प्रावधान किये गये है। पूरे छत्तीसगढ़ के साथ ही महासमुंद ज़िले में सैकड़ों परिवार बुनकर एवं महिलाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बुनाई एवं सिलाई के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। पड़ोसी राज्य ओड़िशा के अलावा महासमुंद जिले के कुछ हिस्सों में भी संबलपुरी साड़ी का उत्पादन किया जाता है। सरायपाली क्षेत्र के ग्राम अमरकोट, कसडोल सहित कई गांवों के बुनकर परिवार मिलकर हाथ से बुनाई कर संबलपुरी साड़ी बनाने का काम करते है। सरायपाली के ग्राम सिंघोड़ा के संजय मेहेर 40 साल से यह परम्परागत व्यवसाय का कार्य कर रहे। उन्होंने पढ़ाई के दौरान 14 वर्ष की उम्र से बुनकर का काम शुरू किया था।

आज उन्हें अपने इस काम में महारथ हासिल है। वे अपने इस बुनकर काम को बखूबी कर अपनी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत मज़बूत कर ली है। वह कहते है कि अपने बुनकर के हुनर से ज़मीन, मकान बनवा लिया है। उनके दादा और पिताजी भी इसी कार्य से जुड़े थे। तब वह ओडिय़ा साड़ी दो नग टाई-डाई साड़ी बुनकर घूम-घूम कर शहर, गांव और देहात में बेचा करते थे। अब वह 1000 से 10000 टाई-डाई तक की विभिन्न डिजाइन की हाथ से बुनी संबलपुरी साड़ी बनाने का काम करते है। इस प्रक्रिया से साड़ी बनने तक एक सप्ताह तक का समय लग जाता है। हाथ से बनी संबलपुरी साडिय़ों हजारों रुपए में बाजार में बिकती है। आज पहले के मुक़ाबले साड़ी की क़ीमत अच्छी मिल रही है। आज 2500-3000 तक एक साड़ी पर आसानी से मिल जाते है।